



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2015/वैशाख 2, 1937

No. 136]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2015/VAISAKHA 2, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

फां. सं 1-59/एफ एसएसएआई/2009.— भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम, 2015 जिन्हें भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 28 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, को धारा 92 की उपधारा 1 के द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख के साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को सरकारी राजपत्र जिसमें अधिसूचना प्रकाशित होती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

उपर्युक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हो, को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 को भेजा जाए।

खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य प्रत्याह्वान) विनियम, 2015

अध्याय-1

साधारण

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन विनियमों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम, 2015 के रूप में जाना जाएगा।
(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं:—
(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) 'अधिनियम' से खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है;
(ख) "प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य" से खाद्य उत्पाद की विनिर्दिष्ट लॉट या बैच या कूट संख्या अभिप्रेत है जिसे खाद्य प्राधिकरण या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य संरक्षा आयुक्त या व्यवसाय संचालक द्वारा स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाला

या क्षति पहुंचाने की संभावना वाला या यहां तक कि मृत्यु का कारण बनने वाला असुरक्षित खाद्य के रूप में अवधारित किया गया है।

(ग) 'सार्वजनिक चेतावनी' से खाद्य प्राधिकारी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य प्राधिकारी या खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा खाद्य प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई कोई सतर्कता अभिप्रेत है कि प्रत्याह्वान किया जा रहा खाद्य स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है।

(घ) 'प्रत्याह्वान' से प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य जो वितरण, विक्रय और उपभोग जो भी उपयुक्त हो, के लिए असुरक्षित खाद्य है, को हटाने के लिए की गई कार्रवाई अभिप्रेत है:

(च) 'खाद्य व्यवसाय संचालक प्रत्याह्वान' से थोक विक्रय आपूर्ति और वितरण में लगा हुआ विनिर्माता, आयातक या कंपनी या ब्रांड का स्वामी अभिप्रेत है जो असुरक्षित खाद्य के प्रत्याह्वान करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

(छ) 'प्रत्याह्वान योजना' से खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा खाद्य प्रत्याह्वान के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं, पद्धतियों और कार्रवाइयों का लिखित सेट अभिप्रेत है;

(ज) 'विनियम से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(झ) 'राज्य खाद्य प्राधिकारी' से अधिनियम की धारा 30 के अधीन नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त या इस प्रयोग के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ट) 'असुरक्षित खाद्य' से अधिनियम की धारा 3 (1) (य य) के अधीन परिभाषित खाद्य है।

2. सभी अन्य पद और अभिव्यक्तियों जिनका इसमें उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं है परन्तु जो अधिनियम, नियमों या उसके तद्वर्ती बनाए गए विनियमों में परिभाषित हैं का यहां वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अधिनियम, नियमों या विनियमों में है।

अध्याय 2

उद्देश्य

3. खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया के उद्देश्य:-

- खाद्य व्यवसाय संचालकों का मार्गदर्शन करना कि बार कोड तथा ई-मेल, पेपर, फैंक्स इत्यादि जैसे अन्य उपायों जैसी वैश्विक पहचान प्रणालियों का उपयोग करके जो प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य का वितरण श्रृंखला से प्रत्याह्वान को सुविधाजनक बनाते हैं, का उपयोग कर कैसे खाद्य का प्रत्याह्वान किया जाए और उपभोक्ताओं को (जहां आवश्यक हो) ऐसे खाद्य की उपस्थिति की सूचना दी जाए और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे रोक लिया गया है और नष्ट कर दिया गया है या सुरक्षित बना दिया गया है;
- खाद्य व्यवसाय संचालकों का मार्गदर्शन करना कि वह कैसे खाद्य के असुरक्षित अवधारित को जानने की दशा में खाद्य के प्रत्याह्वान के लिए कैसे लिखित 'प्रत्याह्वान योजना' तैयार करे और ऐसी स्थिति में कैसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का संरक्षण करे, और
- प्रत्याह्वान, प्रत्याह्वान पश्च रिपोर्ट, प्रत्याह्वान प्रक्रिया की समाप्ति तथा अनुवर्ती कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया को स्थापित करना ताकि प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जा सके और उसकी पुनरावृत्ति का निवारण किया जा सके।

कार्य क्षेत्र

4. **खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :-** (1) ये विनियम उस खाद्य प्रत्याह्वान पर लागू होते हैं जिसे असुरक्षित अवधारित किया गया है। खाद्य प्रत्याह्वान उद्योग, सरकार तथा विशिष्टतया उपभोक्ताओं के सामान्य हित में है।

(2) अधिनियम के अधीन विनियमित खाद्य के विनिर्माण या आयात या थोक विक्रय आपूर्ति में लगे हुए सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के पास अद्यतन प्रत्याह्वान योजना होनी चाहिए। केवल खाद्य खुदरा व्यापारी के पास खाद्य प्रत्याह्वान योजना होना आवश्यक नहीं है जब तक कि वे विनिर्माण या आयात या थोक विक्रय आपूर्ति में भी शामिल न हों। खाद्य सेवा क्षेत्रक के भीतर खाद्य व्यवसाय जैसे रेस्त्रां, केटरर्स तथा टेक अवे ज्वाइंटों को तब तक प्रत्याह्वान योजना से छूट दी गई है जब तक वे एकीकृत विनिर्माण तथा वितरण नेटवर्क सहित मल्टी-आउटलेट खाद्य व्यवसाय श्रृंखला न चला रहे हों।

3. खाद्य सेवा क्षेत्रक के भीतर खाद्य खुदरा व्यापारी तथा खाद्य व्यवसाय जिन्हें प्रत्याह्वान योजना की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ से प्रत्याह्वान किए गए स्टॉक को हटा देंगे और इसे विनिर्माता, आयातक या थोक विक्रेता को वापस कर देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य को अन्य खाद्य से पृथक कर लिया गया है और उसकी पहचान की गई है जब तक कि उसका निपटान प्रत्याह्वान योजना के अधीन उपलब्ध कराए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं कर दिया जाता है।

4. प्रत्याह्वान योजना अनिवार्य रूप से लिखित में उपलब्ध होना चाहिए और उसे यथा स्थिति अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य प्राधिकारी या खाद्य संरक्षा आयुक्त के अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य व्यवसाय संचालक से तब तक इसके द्वारा विकसित योजना का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है जब तक वह खाद्य प्रत्याह्वान करता है और प्रत्याह्वान योजना को उसके व्यवसाय से एकीकृत कर दिया जाएगा। यह खाद्य व्यापार की वार्षिक लेखा-परीक्षा का भी एक हिस्सा होगी।

5. शराब, पान मसाला, सुपारी की दशा में "एल्कोहल/पान मसाला/सुपारी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"का आज्ञापक वर्णन को तब तक असुरक्षित खाद्य के प्रत्याह्वान योजना के रूप में नहीं लिया जाएगा जब तक कि मादक पेय खाद्य को प्रत्याह्वान के वर्गीकरण के अनुसार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या मृत्युकारित करने वाले के रूप में असुरक्षित अवधारित नहीं किया गया हो।

अध्याय-3

खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया

5. **खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया आरंभ करना:-** (1) खाद्य की थोक आपूर्ति, विनिर्माण और आयात कार्य में लगा हुआ कोई खाद्य व्यवसाय संचालक उस खाद्य से जो उपभोक्ता के लिए असुरक्षित है, लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी समय प्रत्याह्वान आरंभ करेगा।

(2) प्रत्याह्वान प्रक्रिया को खाद्य व्यवसाय संचालकों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों या शिकायतों को निर्दिष्ट करते हुए उनके परिणामस्वरूप आरंभ किया जा सकेगा। रिपोर्टों या शिकायतों को विनिर्माताओं, थोक व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, विवरणकर्ताओं, फुटकर विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और खाद्य प्राधिकारी या राज्य /संघ राज्य के खाद्य प्राधिकारी या खाद्य संरक्षा आयुक्त द्वारा अभिनिर्देशित किया जा सकेगा। ऐसी रिपोर्टों या शिकायतों की खाद्य व्यवसाय संचालक के साथ परामर्श से उनके तद्धीन बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार 'प्रत्याह्वान वर्गीकरण' या 'प्रत्याह्वान आरंभ करने' से पूर्व समीक्षा की जाएगी। खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा ऐसी शिकायत का प्रत्युत्तर न देने की दशा में शिकायतकर्ता या उपभोक्ता राज्य/ संघ राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी को रिपोर्ट कर सकेगा जो प्रत्याह्वान की आवश्यकता को अवधारित करने के लिए कदम उठाएंगे और संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक को तदनुसार अनुदेश देंगे।

(3) खाद्य प्राधिकारी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त विनिर्माण, आयात और थोक आपूर्ति या वितरण के कार्य में लगे हुए खाद्य व्यवसाय संचालक को खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निदेश दे सकेंगे यदि उसके द्वारा विनिर्मित और वितरित कोई खाद्य असुरक्षित है और खाद्य व्यवसाय संचालक, जो प्रत्याह्वान पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, ने स्वयं प्रत्याह्वान आरंभ नहीं किया है।

(4) संपूर्ण वितरण श्रृंखला में सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों का यह दायित्व है कि वह प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक से संबंधित अनुदेशों को कार्यान्वित करे और प्रत्याह्वान संचालित करे तथा खाद्य वितरण से संबंधित सूचना प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी को दे। ऐसा करने में असफल रहने पर खाद्य व्यवसाय संचालक को अधिनियम के अंतर्गत या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा।

(5) राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी द्वारा निर्देशक प्रत्याह्वान को हाथ में लेने से कोई खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा इंकार करने की दशा में या जहां राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कोई प्रत्याह्वान प्रभावी नहीं होगा या यह अवधारित करता है कि प्रत्याह्वान निष्प्रभावी है या उन्हें यह पता चलता है कि उल्लंघन जारी है तो राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी अधिनियम, उसके तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन समुचित कार्रवाई करेगा और खाद्य व्यवसाय संचालक इस उल्लंघन के लिए अधिनियम या उसके तद्धीन बनाए गए नियमों में उपबंधित के अनुसार उत्तरदायी होगा।

(6) विदेश में विनिर्मित खाद्य का प्रत्याह्वान स्वास्थ्य प्राधिकारियों की रिपोर्टों या ऐसे प्राधिकारियों या अन्यथा से सीधे प्राप्त सूचना के आधार पर आरंभ किया जा सकेगा।

(7) निर्यात उन्मुखी इकाइयों को भी प्रत्याह्वान योजना रखने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जो भारत में स्थानीय उपभोक्ता के लिए हों। इसके अतिरिक्त, देश में आयातित खाद्य का पत्तन प्राधिकारी और संबंधित खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वह अस्वीकृत उत्पाद का मामला है या किसी बाजार का प्रत्याह्वान है जिसे इस विनियम में परिभाषा के अनुसार असुरक्षित माने जाने के कारण स्थानीय बाजार में वितरित नहीं किया जाए।

(8) खाद्य व्यवसाय संचालक या राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए प्रत्याह्वान में राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी को संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक के विरुद्ध असुरक्षित खाद्य के कारण विनियामक कार्रवाई करने से तत्समय रोकना शामिल नहीं होगा।

6. **प्रत्याह्वान का वर्गीकरण :-** खाद्य प्रत्याह्वान उस मामले में किया जाता है जिसमें खाद्य प्राधिकारी द्वारा खाद्य को असुरक्षित खाद्य अवधारित किया जाता है जो उपभोक्ता के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या यहां तक कि मृत्युकारित कर सकता है।

7. **खाद्य प्रत्याह्वान प्रणाली का प्रचालन:-** (1) खाद्य व्यवसाय संचालक खाद्य वितरण अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा जिसमें आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के नाम और पते के साथ-साथ खाद्य की प्रकृति तथा क्व और परिदान की तारीख, लॉट सं या बैच कूट, पैक का आकार, ब्रांड नाम, विनिर्माण की तारीख और तारीख से पूर्व सर्वोत्तम उपयोग शामिल हैं और ऐसे अभिलेखों को एक वर्ष की अवधि या उपयोगी जीवन, जो भी अधिक हो, के लिए बनाए रखेगा।

(2) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्याह्वान चेतावनी अधिसूचना राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी को तुरंत किंतु उस समय से चौबीस घंटे पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें उसे खाद्य के असुरक्षित होने का पता चला था और प्रत्याह्वान कार्य आरंभ किया जाएगा। द्रुत संचार सुनिश्चित करने के लिए ऐसी चेतावनी को फैक्स,

ई-मेल, या स्पीड पोस्ट सहित संचार के सभी संभव साधनों का इस्तेमाल कर भेजा जा सकेगा। राज्य खाद्य प्राधिकारी ऐसी प्रत्याह्वान चेतावनी की सूचना खाद्य प्राधिकारी को ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर देंगे।

(3) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य का उत्पादन और /या वितरण खाद्य प्राधिकारी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त से किसी अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना रोक देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। वह प्रभावित खाद्य के वितरणों से लिखित पत्रव्यवहार, फोन, ई-मेल, फ़ैक्स या इनमें से किसी के संयोजन द्वारा संपर्क करेगा, आपूर्तिकर्ता और किसी अन्य सुसंगत फुटकर विक्रेता या व्यापार संघ को अधिसूचित करेगा और अनुसूची 1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रत्याह्वान सूचना में यथा उपदर्शित सभी अपेक्षित उत्पाद के ब्यौरे को तुरंत पहचान करने के साथ किसी अतिरिक्त ब्यौरे की पहचान करेगा जो त्वरित पहचान और प्रत्याह्वान को सुकर बनाए। प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक प्रत्याह्वान के अधीन पहचाने गए खाद्य के वितरण को यथा स्थिति राज्य के खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् जारी रख सकेगा।

8. प्रत्याह्वान योजना:— (1) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक अपनी खाद्य प्रबंधन सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार विस्तृत प्रत्याह्वान योजना तैयार करेगा।

(2) खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी को वास्तविक प्रत्याह्वान के समय उसके द्वारा स्वास्थ्य संकट मूल्यांकन या वर्गीकरण, उत्पाद की पहचान करने में सुगमता या चुनौतियां; वह सीमा जिस तक खाद्य में कमी उपभोक्ता के लिए स्पष्ट है, वह सीमा जिस तक खाद्य बाजार में अप्रयुक्त रहता है को ध्यान में रखते हुए प्रत्याह्वान योजना प्रस्तुत करेगा और प्रत्याह्वान पर्यवेक्षण करेगा, डाटा एकत्र करने तथा प्रत्याह्वान पूरा होने की रिपोर्ट देगा।

(3) राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा विकसित प्रस्तावित प्रत्याह्वान योजना की पर्याप्तता की समीक्षा करेगा और समुचित परिवर्तन की सिफारिश करेगा। खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी को प्रस्तुत प्रत्याह्वान योजना के अनुसार प्रत्याह्वान का संचालन करेगा। परन्तु किसी भी अवस्था (चरण) में इनमें से किसी प्राधिकारी से प्राप्त सुझावों को प्रत्याह्वान योजना को कार्यान्वित करते समय ध्यान में रखेगा।

9. प्रत्याह्वान संचार:— (1) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक उसके प्रत्येक अनुप्रवाह खाद्य व्यवसाय संचालक और व्यक्तियों को प्रत्याह्वान के विषय में शीघ्रता से अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्याह्वान संचार का संरूप (फॉर्मेट), अंतर्वस्तु और विस्तार प्रत्याह्वान किए जा रहे खाद्य के संकट और प्रत्याह्वान के लिए विकसित योजना के अनुरूप होगा।

(2) ऐसे प्रत्याह्वान संचार के साथ लिखित संचार, फोन, ई-मेल, फ़ैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी वी या रेडियो या इंटरनेट या संयोजन) या उनका कोई संयोजन होगा, इस पर स्पष्ट रूप से मोटे लाल टाइप में "खाद्य प्रत्याह्वान" अंकित होगा। संचार पर "अत्यावश्यक" भी अंकित होगा। टेलीफोन कॉल या अन्य वैयक्तिक संपर्कों को भी साधारण पूर्वोक्त विधियों में से किसी एक विधि द्वारा पुष्टि की जाएगी और समुचित तरीके से उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

(3) खाद्य व्यवसाय संचालक जिसे प्रत्याह्वान संचार प्राप्त होता है, खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा प्रत्याह्वान के लिए दिए गए अनुदेशों का तुरंत पालन करेगा, और जब भी आवश्यक हो प्रत्याह्वान का विस्तार उप-विनियम (1) और उप-विनियम(2) तथा अनुसूची 11 में यथा विनिर्दिष्ट संरूप के अनुसार स्वयं के अनुप्रवाह खाद्य व्यवसाय संचालकों तथा व्यक्तियों पर करेगा।

(4) खाद्य प्रत्याह्वान की दशा में प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक प्रत्याह्वान के प्रभावित क्षेत्र में उपभोक्ता (सार्वजनिक सूचना) को यथासंभव शीघ्र समय पर सूचित करेगा जो प्रेस विज्ञापित, संबंधित पक्षों के पत्रों या मीडिया में भुगतान किए गए विज्ञापन के रूप में होंगे। ऐसी प्रेस विज्ञापित, पत्र या विज्ञापन "खाद्य प्रत्याह्वान सूचना" के रूप में होंगे और इनमें निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी:—

(क) खाद्य प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक का नाम

(ख) खाद्य का नाम, ब्रांड नाम, पैक का आकार, बैच और कूट संख्या, विनिर्माण की तारीख,तक उपयोग करें या ... तारीख तक उपयोग सर्वोत्तम, विशिष्ट उत्पाद कूट संख्या (ई ए एन या यू पी सी संख्या)

(ग) खाद्य में संदूषण या उल्लंघन या ऐसे प्रत्याह्वान का कारण

(घ) "यदि खाद्य असुरक्षित है तो उपभोग न करें" संदेश।

(च) स्वास्थ्य चेतावनी और कार्रवाई

(छ) उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(ज) प्रश्नों के लिए संपर्क संख्या।

(5) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर देगा।

10. प्रत्याह्वान प्रस्थिति रिपोर्ट :- (1). यह अवधारित करना प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक का उत्तरदायित्व है कि क्या प्रत्याह्वान प्रभावी रूप से हो रहा है और वह राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी को प्रत्याह्वान की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याह्वान अधिसूचना के पश्चात् आवधिक प्रस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्टों की बारबारता का अवधारण प्रत्याह्वान की संबंधित अत्यावश्यकता या गंभीरता के आधार पर

किया जाएगा और उन्हें राज्य/संघ राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रत्याह्वान के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथापि, रिपोर्ट करने का अंतराल एक सप्ताह से अधिक नहीं होगा।

2. जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए या उपयुक्त न हो, किसी प्रत्याह्वान के मामले में, प्रत्याह्वान प्रस्थिति रिपोर्ट में सूचना अंतर्विष्ट होगी जैसा कि अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट है।

3. प्रत्याह्वान प्रस्थिति रिपोर्टों को तब बंद कर दिया जाएगा जब प्रत्याह्वान की यथास्थिति राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाए।

4. प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक खाद्य प्रत्याह्वान के समुचित तथा संपूर्ण दस्तावेज को यथास्थिति राज्य खाद्य प्राधिकारी या खाद्य प्राधिकारी के द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन के लिए रखेगा।

11. खाद्य पुनःप्राप्ति:- (1) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक पुनः प्राप्त किए जाने वाले खाद्य का भंडारण एक ऐसे क्षेत्र में करेगा जो अन्य खाद्य से पृथक् होगा और उसकी पहचान एक लेबल प्लेट के साथ की जाएगी जिस पर मोट अक्षर में "प्रत्याह्वान किया गया उत्पाद" लिखा होगा।

2. प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक पुनः प्राप्त किए गए खाद्य और उसकी लॉट संख्या या बैच कूट, पैक का आकार, ब्रांड नाम, विनिर्माण की तारीख ...तारीख तक उपयोग सर्वोत्तम, विशिष्ट उत्पाद कूट संख्या (ई ए एन या यू पी सी कूट) आदि का एक सटीक अभिलेख रखेगा। उचित अभिलेखन प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध होगी कि प्रत्याह्वान किए गए खाद्य को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और उसके ब्यौरे को अभिलेखित किया गया है।

3. प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक, यदि उचित हो तो राज्य खाद्य प्राधिकारी के परामर्श से पुनः प्राप्त किए गए खाद्य को ठीक कर सकेगा या उसका पुनः प्रसंस्करण कर सकेगा और बाजार में फिर से जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त और सुरक्षित है। अन्य सभी मामलों में, प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य खाद्य प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि के साथ परामर्श से ऐसे खाद्य को समुचित रूप से नष्ट करना सुनिश्चित करेगा। ऐसे उत्पाद के निपटान का पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा।

12. पश्च-प्रत्याह्वान रिपोर्ट:- (1) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक प्रत्याह्वान के पूरा होने के पश्चात् प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए पश्च प्रत्याह्वान रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता का निर्धारण प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा खाद्य के खुदरा कुल बिक्री (टर्न ओवर) को ध्यान में रखकर और वापस किए गए खाद्य की मात्रा या परिमाण के आधार पर बचे हुए खाद्य की मात्रा या परिमाण के समानुपात के रूप में किया जाएगा।

(3) किसी प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि ऐसे प्रत्याह्वान के कारणों की जांच की जाए और ऐसी समस्या की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए कार्रवाई की जाए।

13. प्रत्याह्वान का समापन:- (1) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के साथ नवीनतम प्रस्थिति रिपोर्ट या पश्च-प्रत्याह्वान रिपोर्ट के साथ यह कथन करते हुए कि प्रत्याह्वान प्रभावी था, प्रत्याह्वान की समाप्ति के लिए अनुरोध कर सकेगा। यह अनुरोध अनुसूची v में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जा सकेगा।

(2) प्रत्याह्वान को समाप्त किया जा सकेगा जब राज्य/संघ राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी यह अवधारित करते हैं कि सभी युक्तिसंगत प्रयास कर लिए गए हैं और यह मानना युक्तियुक्त है कि प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य को हटा लिया गया है और समुचित निपटान या सुधार कर लिया गया है।

(3) प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के दो सप्ताह के भीतर खाद्य प्राधिकारी या राज्य खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रत्याह्वान समाप्ति के आशय की लिखित अधिसूचना प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक को जारी की जाएगी।

(4) अंसतोषजनक रिपोर्टों की दशा में, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी प्रत्याह्वान करने वाले व्यवसाय संचालक के विरुद्ध निरीक्षण बढ़ाना, अभिग्रहण या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं।

14. अनुवर्ती कार्रवाई:- (1) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य /संघ राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी को प्रत्याह्वान पूरा होते ही एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो किसी भी दशा में किसी प्रत्याह्वान के पूरा होने के पश्चात् 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होगी अर्थात्:-

(क) ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण प्रत्याह्वान किया गया;

(ख) प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा की गई कार्रवाई जिसके अंतर्गत प्रचार के ब्यौरे भी शामिल हैं;

(ग) देश और विदेश में संसंगत बैच के वितरण का विस्तार;

(घ) प्रत्याह्वान का परिणाम (वापस किए गए, ठीक किए गए, बकाया स्टॉक की मात्रा आदि)

(च) प्रत्याह्वान किए गए या अन्यथा नष्ट करने के अभिलेख के साथ निपटान की प्रस्तावित विधि; और

(छ) भविष्य में समस्या की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई।

15. **खाद्य व्यवसाय संचालक का उत्तरदायित्व:—** (1) खाद्य व्यवसाय संचालक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके पास अन्य खाद्य व्यवसाय की पहचान करने के लिए जिन्हें उसने अपने खाद्य की आपूर्ति की है, प्रक्रियाएं और प्रणालियां हों।

(2) खाद्य व्यवसाय संचालक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी के साथ खाद्य के विनिर्दिष्ट बैच या लॉट या कूट जिसकी वे आपूर्ति करते हैं या उनके द्वारा आपूर्ति की गई है, से उत्पन्न जोखिम से बचने या कम करने के लिए सहयोग करेगा।

(3) खाद्य व्यवसाय संचालक का यह उत्तरदायित्व होगा कि जब उस यथास्थिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाए, वह विक्रय या वितरण से खाद्य को हटा ले।

16. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त का उत्तरदायित्व:—** (1) राज्य /संघ क्षेत्र राज्य का खाद्य संरक्षा आयुक्त खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा प्रत्याह्वान का पर्यवेक्षण करेगा और प्रत्याह्वान चेतावनी अधिसूचना प्राप्त करने के पश्चात खाद्य व्यवसाय संचालक के प्रत्याह्वान की क्षमता का निरीक्षण करेगा। राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त के उत्तरदायित्व में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- i. उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने के बाद संदिग्ध या असुरक्षित अवधारित खाद्य का निरीक्षण करे, अधिनियम में अतिविष्ट उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करे और जहां अपेक्षित हो, खाद्य प्राधिकारी के साथ परामर्श से खाद्य व्यवसाय संचालक को ऐसे खाद्य के प्रत्याह्वान की सलाह दें।
- ii. ऐसे प्रत्याह्वान जिनमें उपभोक्ता शामिल है और जहां अपेक्षित है, खाद्य व्यवसाय संचालक के साथ परामर्श से मीडिया द्वारा तुरंत उपयोग के लिए मीडिया विज्ञप्ति तैयार करना तथा उसे जारी करना।
- iii. जब वह यह अवधारित करता है कि खाद्य व्यवसाय संचालक खाद्य के प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में असमर्थ है, चयनित रूप से लेखा परीक्षा जांच संचालित करना।
- iv. खाद्य व्यवसाय संचालक जिसने अपूर्ण प्रत्याह्वान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, को सुधार करने के लिए सलाह देना।
- v. मामले की अत्यावश्यकता के अधीन रहते हुए प्रत्याह्वान की स्थिति की रिपोर्ट की आवृत्ति के संबंध में अनुदेश देना और खाद्य व्यवसाय संचालक की प्रत्याह्वान प्रगति को मॉनीटर करना।
- vi. प्रत्याह्वान को पूर्ण करने में खाद्य व्यवसाय संचालक का पर्यवेक्षण करना और उसके प्रत्याह्वान रिपोर्ट का निर्धारण करना।
- vii. खाद्य व्यवसाय संचालक को अनुवर्ती मार्गदर्शन का प्रस्ताव करना, पूरा किए गए प्रत्याह्वान के परिमाण का पता लगाने के लिए आवधिक निरीक्षण का संचालन करना, सुसंगत प्रत्याह्वान सूचना फाइल करना और आवश्यक प्रेस-विज्ञप्ति जारी करना।
- viii. प्रत्याह्वान अधिसूचना की प्रभावशीलता को मॉनीटर करना, सुधार करना या हटाना, समुचित खाद्य निपटान का सत्यापन करना और प्रत्याह्वान को समाप्त करना।
- ix. खाद्य प्राधिकारी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त भारत में आयातित खाद्य जो अन्य बाजारों में प्रत्याह्वान किए गए उत्पाद हैं या जहां भारत में तैयार किए गए खाद्य निर्यात किए गए देश में प्रत्याह्वान या अस्वीकार किए जाने के अधीन है और भारत को लौटाए जाते हैं, संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक के साथ परामर्श से ऐसे खाद्य के निपटान या पत्तन पर पुनः प्रसंस्करण या अन्यथा के लिए अवधारित करेंगे, और निर्यात किए गए खाद्य के लिए प्रत्याह्वान योजना की समीक्षा करेंगे और आयातकर्ता देशों में स्वास्थ्य प्राधिकारियों को ऐसे प्रत्याह्वान के बारे में सलाह देंगे।

2. खाद्य प्राधिकारी को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया के निष्पादन के विषय में सूचित किया जाएगा और वह ऐसे अनुदेशों से मार्गदर्शित होगा जैसा कि खाद्य प्राधिकारी उचित समझे।

17. **खाद्य प्राधिकारी का उत्तरदायित्व:—** (1) खाद्य प्राधिकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त का प्रत्याह्वान योजना के निष्पादन में मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण करेगा और जहां आवश्यक हो, खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा प्रस्तुत सुसंगत रिपोर्टों का निर्धारण कर सकेगा और यथापेक्षित अनुदेश देगा।

2. खाद्य प्राधिकारी अपनी वेबसाइट पर "खाद्य प्रत्याह्वान" शीर्षक वेब आधारित सुविधा स्थापित कर सकेगा जिसमें प्रत्येक प्रत्याह्वान की मॉनीटर करने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी तथा ऐसे प्रत्याह्वान के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी। खाद्य प्राधिकारी जब ऐसा विचार करे कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य परिसंकट के विषय में चेतावनी देना आवश्यक है तो वह प्रत्याह्वान का भी प्रचार कर सकेगा और वह संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक को इससे अवगत रखेगा।

अनुसूची- I

[[देखें विनियम 7 (2)]]

खाद्य प्रत्याह्वान चेतावनी अधिसूचना का संरूप

सेवा में,

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कं. सं	विषय	विवरण	
1.	प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक का नाम और पता		
2.	उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क के ब्यौरे जिससे संपर्क किया जाना चाहिए		
3.	विवक्षित खाद्य की पहचान	(क) खाद्य की किस्म	
		(ख) ब्रांड नाम	
		(ग) विनिर्माण की तारीख	
		(घ) प्रभावित खाद्य की मात्रा /संख्या	
		(च) विशिष्ट उत्पाद कूट (ईएएन/यूपीसी संख्या	
		(छ) एफएसएसआई अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संख्या	
4.	प्रत्याह्वान का कारण		
5.	तारीख और परिस्थितियां जिनके अधीन खाद्य में कमी का पता चला था।		
6.	परिसंकट की प्रकृति		
(क)	समस्या की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पता तथा टेलीफोन संख्या		
(ख)	क्या कोई जांच की गई है;		
(ग)	समस्या की प्रकृति		
(घ)	परिणाम:		
7.	विवक्षित खाद्य उत्पाद की कुल मात्रा		
8.	उत्पादन की समयावधि		
9.	खाद्य व्यवसाय संचालक/वितरण चैनलों में व्यक्ति को विक्रय किए गए विवक्षित उत्पादों की मात्रा		
10.	खाद्य वितरण का परिणाम (वितरण का स्तर, प्रत्यक्ष लेखाओं की संख्या, प्रत्यक्ष लेखाओं की पहचान, यदि संभव हो)		
11.	प्रत्याह्वान संचार की प्रति (यदि पहले ही जारी कर दी गई है) अन्यथा प्रस्तावित संचार और प्रस्तावित संचार के साधन		
12.	पहले ही की गई कार्रवाई और प्रत्याह्वान के लिए प्रस्तावित योजना		
13.	कोई अन्य सुसंगत सूचना		

यदि स्थान पर्याप्त न हो तो कृपया अतिरिक्त शीट उपाबद्ध करें।

हस्ताक्षर और उपाधि.....

तारीख.....

अनुसूची-II
{ (देखें विनियम 8 (1)) }

प्रत्याह्वान योजना

प्रत्याह्वान योजना में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाएगा

तत्व	प्रयोजन	क्या करना चाहिए
प्रत्याह्वान प्रबंधन दल	आपको प्रत्याह्वान योजना पर बिना किसी रुकावट के कार्रवाई करने की अनुमति देता है।	उत्पादन, गुणता, विक्रय-क्रय, बीमा, विधि, तकनीकी, मीडिया से जिम्मेदार व्यक्तियों को नियुक्त करें जहां ऐसी समिति के सदस्य के दायित्वों को प्रत्याह्वान योजना के साथ परिभाषित किया जाएगा।
शिकायत फाइल	आपको असुरक्षित खाद्य की पहचान करने में और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में समस्याओं को ठीक करने की अनुमति देता है	असुरक्षित खाद्य की विशिष्ट उत्पाद कूट () लॉट संख्या, समाप्ति/विनिर्माण की तारीख/विनिर्माण/तारीख जिससे पहले उपयोग सर्वोत्तम है। परिवाद अभिलिखित करना, जांच करना और जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करना।
प्रत्याह्वान अधिसूचना संपर्क सूची	राज्य खाद्य प्राधिकरण के कर्मचारीवृंद आपको जांच और सुरक्षा ठीक करने की कार्रवाई करने के विनिश्चयों में आपकी सहायता करेंगे।	राज्य खाद्य प्राधिकारी का नाम, संपर्क टेलिफोन नंबर और फ़ैक्स नं०
खाद्य की पहचान करना	प्रत्याह्वान के दायरे को सीमित करता है और वितरण से खाद्य को शीघ्रता से और सही प्रकार से हटा लेता है।	आपूर्तिकर्ता से सभी कच्ची सामग्रियों को तैयार उत्पाद के साथ जोड़ें। विशिष्ट उत्पाद कूट का उपयोग करते हुए अपने तैयार उत्पाद को कूटकृत करें।
उत्पादन परिमाण	आपको यह जानने के लिए अनुमति देता है कि कितना खाद्य आपकी कंपनी के नियंत्रण में है और कितना विक्रय किया गया है।	प्रत्येक खाद्य उत्पाद का प्रत्येक लॉट कोड के परिमाण को अभिलिखित करें।
वितरण अभिलेख	आपको, आपके प्रत्याह्वान को सामित करने में उस विशिष्ट खाते तक जो प्रत्याह्वान किया जा रहा खाद्य प्राप्त किया जाता है अनुमति देता है।	नाम और खाते की किस्म, पता, खाद्य का नाम, लॉट और समाप्ति की तारीख एवं उत्पाद कूट, टेलिफोन नं., भेजे गए /वितरित खाद्य का परिमाण अभिलिखित करें।
प्रत्याह्वान किए गए खाद्य का अभिलेख	आपको यह जाने के लिए अनुमति देता है कि खाद्य को नियंत्रित कर लिया गया है और उसे वापस बाजार में नहीं भेजा गया है।	खाद्य का ब्रांड और नाम, आकार, विशिष्ट उत्पाद कूट, परिमाण, प्रत्याह्वान की तारीख अभिलिखित करें।
प्रत्याह्वान प्रक्रियाएं	जब आपको खाद्य का प्रत्याह्वान संलग्न करना है तो आपके द्वारा क्या किया जाना है कि इसका एक एक कर विवरण इसमें अंतर्विष्ट है।	संलग्न फ्लो चार्ट में दी गई प्रक्रिया का एक एक कर अनुसरण करें।

प्रत्याह्वान प्रक्रिया में कदम

प्रत्याह्वान प्रबंधन दल	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्याह्वान प्रबंधन दल को एकत्र करें • व्यक्तियों की पहचान करें और उन्हें प्रत्याह्वान कर्तव्य सौंपें। • छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय संचालक एक या दो व्यक्तियों को पूर्वोक्त दायित्व देने के लिए अंतर्विष्ट कर सकते हैं।
अधिसूचना	<ul style="list-style-type: none"> • तुरंत राज्य खाद्य प्राधिकारी को अधिसूचित करें। • उपभोक्ता को प्रत्याह्वान के संबंध में यथाशीघ्र संभव समय पर प्रेस विज्ञप्ति, पत्र या मीडिया में प्रदत्त विज्ञापन के माध्यम से सूचित करें।
प्रत्याह्वान किए जाने वाले खाद्य की पहचान	<ul style="list-style-type: none"> • किसी व्यक्ति जिसे खाद्य की आपूर्ति की गई है की पहचान करें। • व्यवसाय और व्यष्टियों की पहचान करें जिन्हें उसके उत्पादन की आपूर्ति की गई है।

उत्पाद की वसूली	<ul style="list-style-type: none"> वसूले गए खाद्य का पृथक रूप से भंडारण कर और वसूले गए खाद्य का सटीक अभिलेख रखें। यदि खाद्य मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो तो उसे ठीक करें/ पुनः प्रसंस्कृत करें। अन्यथा उसे राज्य खाद्य प्राधिकारी के सामने नष्ट कर दें।
प्रभावी प्रत्याह्वान	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्याह्वान के एक भाग के रूप में प्रभावी जांच संचालित करें। खाद्य के खुदरा व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, उस खाद्य के प्रतिशत के रूप में वापस किए गए खाद्य का परिमाण जो विनिर्माता से बाहर गया था।
अनुवर्ती कार्रवाई	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्याह्वान के पूरा होने के बाद यथाशीघ्र एक अंतरिम रिपोर्ट राज्य खाद्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। परिस्थितियां, की गई कार्रवाई, प्रत्याह्वान का परिणाम, निपटान की विधि और निवारक उपायों की रिपोर्ट की जानी है।
प्रत्याह्वान का समापन	<ul style="list-style-type: none"> खाद्य प्रत्याह्वान के संबंध में पूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण और समाप्ति के अनुरोध के लिए प्रतिधारित करें। राज्य खाद्य प्राधिकारी सभी प्रत्याह्वान कार्यकलापों को पूरा करने के पश्चात् प्रत्याह्वान को समाप्त कर देगा।

अनुसूची-III

{ (देखें विनियम 9 (3)) }

खाद्य प्रत्याह्वान संचार का संरूप (फार्मेट)

फैक्स/पत्र द्वारा

सेवा में,

प्रत्याह्वान किए गए खाद्य के सभी खाद्य व्यवसाय संचालक (वितरक/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता/रेस्ट्रॉ)

अत्यावश्यक

खाद्य प्रत्याह्वान (लाल मोटे अक्षरों में होना चाहिए)

तारीख.....

प्रत्याह्वान किए जाने के लिए खाद्य प्राधिकारी की विशिष्ट पहचान संख्या (जब उपलब्ध हो).....

1. हमारी कंपनी स्वेच्छा से(खाद्य का नाम) कोकारण से (प्रत्याह्वान का कारण) प्रत्याह्वान कर रही है। यह खाद्य संरक्षा एवं गुणता मानकों को पूरा नहीं कर सकेगा और/या उन व्यक्तियों जो इसका उपयोग करते हैं के स्वास्थ्य को लघु /मामूली/गंभीर (एक शब्द का चयन कर) खतरा प्रस्तुत कर सकता है।

2. कृपया सफल प्रत्याह्वान को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें:

i तुरंत अपने.....(ब्रांड, नाम, खाद्य का कूट, पैक का आकार आदि) के विद्यमान स्टॉक का विक्रय या वितरण बंद कर दें।

ii इस प्रपत्र के निचले भाग को पूरा करके आपके पास खाद्य की मात्रा के संबंध में हमें सूचित करें। प्रपत्र पर हस्ताक्षर करें और फैक्स द्वारा इसे यथाशीघ्र(संपर्क व्यक्ति एवं फैक्स संख्या)..... को वापस कर दें।

iii. खाद्य का निपटान न करें। इसके स्थान पर (निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें)।

(क)(विक्रय प्रतिनिधि) के अगले अनुदेशों का इंतजार करें या

(ख) प्रत्याह्वान किए गए खाद्य को(कंपनी का नाम/कंपनी के संपर्क व्यक्ति का नाम) को यथासंभव शीघ्र वापस कर दें।

3. यदि आपने प्रत्याह्वान किए गए किसी खाद्य को वितरित कर दिया है तो तुरंत:
- आपने अनुप्रवाही खाद्य व्यवसाय संचालक / व्यक्ति को टेलीफोन द्वारा और लिखित सूचित करें और उन्हें प्रत्याह्वान के विषय में सलाह दें।
 - उन्हें अपने अनुप्रयुक्त और नष्ट न किए गए स्टॉक को (कंपनी या आपूर्तिकर्ता) को लौटाने का अनुदेश दें।
 - उन्हें उनके किसी खाद्य व्यवसाय संचालक / व्यक्ति को जिसने प्रत्याह्वान किया गया खाद्य प्राप्त किया हो, को भी अधिसूचित करने का निदेश दें।
4. यदि इस प्रत्याह्वान के विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया..... (कंपनी का संपर्क व्यक्ति) को (फोन) पर बेझिझक संपर्क करें।

भवदीय,

(प्रत्याह्वान करने वाला खाद्य व्यवसाय संचालक)

.....उपभोक्ता का नाम:-----
 हाथ में मात्रा.....केस/कैन/पैकेज(एक पर गोला लगाएँ)
 स्वामी का नाम.....कृपया स्वामी का नाम प्रिंट करें तथा हस्ताक्षर करें।

अनुसूची-IV

{ (देखें विनियम 10 (2)) }

खाद्य प्रत्याह्वान प्रस्थिति रिपोर्ट का संरूप (फार्मेट)

तारीख.....

प्रत्याह्वान के लिए खाद्य प्राधिकारी की विशिष्ट पहचान संख्या.....

1.	खाद्य का नाम	(विशिष्ट उत्पाद कोड (ईएएन/यूपीसी कोड))
2.	ब्रांड का नाम:	
3.	बैच / कोड संख्या:	
4.	विनिर्माण / पैकिंग की तारीख:	
5.	खाद्य प्राधिकारी/राज्य संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त का संपर्क:	
6.	फोन:	
7.	ई-मेल पता:	

प्रिय.....

.....(प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक का नाम) एतद्वारा उपर्युक्त सूचीबद्ध खाद्य के संबंध में निम्नलिखित खाद्य प्रत्याह्वान प्रस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1. प्रत्याह्वान प्रारंभ करने से पूर्व विवक्षित खाद्य की मात्रा से संबंधित ब्यौरे:

(क)	कुल उत्पाद	
(ख)	वितरण चैनल में खाद्य व्यवसाय संचालन/व्यष्टिक का कुल विक्रय	
(ग)	प्रत्याह्वान किया जाने वाला कुल	

2. अधिसूचना:-

(क)	पहचाने गए खाद्य व्यवसाय संचालक / व्यष्टि की कुल संख्या	
(ख)	अधिसूचित खाद्य व्यवसाय संचालक/व्यष्टिक की संख्या	
(ग)	अधिसूचना की विधि (जो लागू हो उस पर उसकी जांच करें)	
i.	पत्र	

ii.	फोन	
iii.	फैक्स	
iv.	ई-मेल	
v.	अन्य: कृपया (विनिर्दिष्ट करें)	

3. खाद्य व्यवसाय संचालक का प्रत्युत्तर:

(क)	प्रत्युत्तर देने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक / व्यष्टिक की कुल संख्या:		
(ख)	प्रत्युत्तर न देने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक / व्यष्टिक की कुल संख्या:		
(ग)	प्रत्युत्तर न देने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक / व्यष्टिक के पास प्रेषित खाद्य की कुल मात्रा:		
(घ)	प्रत्युत्तर देने वाले प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टिक द्वारा विक्रय किए गए और लौटाए गए पैकेज यूनिटों की संख्या और उसका परिमाण	विक्रय किया गया	लौटाया गया
i.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि		
ii.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि		
iii.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि		
iv.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि		
v.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि		
vi.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि		
vii.	खाद्य व्यवसाय संचालक/ व्यष्टि (यथा अपेक्षानुसार और जोड़ें)		
	योग		

गणना में लिए गए विवक्षित खाद्य की मात्रा (प्रत्याह्वान करने वाली फर्म की अभिरक्षा में कुल परिमाण, जिसके अंतर्गत प्रत्याह्वान किया गया खाद्य शामिल है जिसे कुल उत्पाद के प्रतिशत में अभिव्यक्त किया गया है:

4. प्रभावशीलता जांच

(क)	अपेक्षित कुल संख्या:	
(ख)	पूरी की गई कुल संख्या:	
(ग)	पूरा करने की तारीख:	

5. प्रत्याह्वान पूरा करने की अनुमानित तारीख.....

6. वसूले गए स्टॉक के निपटान की प्रस्तावित विधि/नष्ट करने का अभिलेख:

7. भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई

भवदीय

प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक के हस्ताक्षर और उपाधि

टिप्पणी:-

1. संचित सूचना उपलब्ध कराएं
2. प्रत्याह्वान समाप्त करने के अनुरोध के साथ संलग्न की जाने वाली अंतिम प्रस्थिति रिपोर्ट में बिन्दु 6 पर निपटान की विनिश्चित विधि/नष्ट करने का अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुसूची-V

{ (देखें विनियम 13 (1)) }

खाद्य प्रत्याह्वान प्रस्थिति रिपोर्ट का संरूप (फार्मेट)

तारीख.....

सेवा में,

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा आयुक्त.....

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण.....

प्रत्याह्वान के लिए खाद्य प्राधिकारी की विशिष्ट पहचान संख्या:.....एफबीओ नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या एवं पंजीकरण संख्या:.....उत्पाद का ब्रांड:.....

(खाद्य का नाम, विशिष्ट उत्पाद कूट (ईएएन/यूपीसी संख्या:.....

तारीख कूट.....बैच संख्या.....विनिर्माण तारीख/पैकिंग की तारीख.....तारीख जिससे पहले उपयोग सवोत्तम /समाप्ति तिथि.....खाद्य प्राधिकारी का संपर्क.....
.....फोन.....ई-मेल.....

संदर्भ:- प्रत्याह्वान समाप्ति के लिए अनुरोध

प्रिय.....

.....(खाद्य व्यवसाय संचालक).....(तारीख) को उपर्युक्त सूचीबद्ध उत्पाद का
.....वर्गके लिए.....स्तर का खाद्य प्रत्याह्वान प्रारंभ किया गया था जिसका
.....स्तर पर विस्तार किया गया था। टैलीफोन, फैक्स, ई-मेल, डाक और वैयक्तिक भ्रमणों से उचित अधिसूचनाएं की गई थीं और उन अधिसूचनाओं के अभिलेख आपके कार्यालय को उपलब्ध कराए गए थे।

2. सभी अनुरोध की गई प्रस्थिति रिपोर्ट फाइल की गई है (उपदर्शित करें यदि उचित समय सीमा के भीतर फाइल की गई है या नहीं) और इसके साथ नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।.....(खाद्य व्यवसाय संचालक विश्वास करता है कि ऊपर सूचीबद्ध उत्पाद का सफलतापूर्वक प्रत्याह्वान कर लिया गया है।

3. इस सफल और शुद्ध अन्तःकरण से निष्पादित किए गए प्रत्याह्वान के आलोक में(खाद्य व्यवसाय संचालक) अनुरोध करता है कि खाद्य उत्पाद प्रत्याह्वान को समाप्त कर दिया जाए औरखाद्य व्यवसाय संचालक को समाप्ति की लिखित पुष्टि उपलब्ध कराई जाए।

आपकी सहायता के लिए धन्यवाद.....

हस्ताक्षर और उपाधि (खाद्य व्यवसाय संचालक)

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 187-ओ / 24 / 15]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2015

F. No. 1-59/FSSAI/2009.—The following draft of the Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2015, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of Section 92 read with sub-section (4) of Section 28 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said Draft Regulations before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110 002;

Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2015.

CHAPTER-1

GENERAL

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called as the *Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2015*.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** -
 - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) **“Act”** means the Food Safety and Standards Act, 2006;
 - (b) **“food under recall”** means the specific lot or batch or code number of food product that has been determined by the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Business Operator, as unsafe food causing injury or liable to cause injury to health or even death;
 - (c) **“public warning”** means any alert issued to the public by the Food Authority; or the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Business Operator with the approval of the Food Authority that the food being recalled is unsafe and injurious to health;
 - (d) **“recall”** means and refers to the action taken to remove an unsafe food under recall from distribution, sale and consumption as appropriate;
 - (e) **“recalling food business operator”** means the manufacturer, importer or company engaged in wholesale supply and/ or distribution or the brand owner, who has the primary responsibility to recall the unsafe food;
 - (f) **“recall plan”** means a written set of procedures, practices and actions to be put in place by the food business operator for food recall;
 - (g) **“regulations”** means regulations made under the Act;
 - (h) **“State Food Authority”** means the Commissioner of Food Safety appointed under Section 30 of the Act or any other person authorised by him for the purpose; and
 - (i) **“unsafe food”** is food as defined under Section 3 (1) (zz) of the Act.
 - (2) All other words and expressions, used herein and not defined but defined in the Act, rules or the regulations made thereunder shall have the meanings assigned to the same in the Act, rules or regulations respectively.

CHAPTER 2

OBJECTIVES

3. **Objectives of the food recall procedure.-**
 - (i) to guide the food business operators on how to carry out a food recall process using global identification systems such as barcode and other mechanisms like email, paper, fax etc., which facilitates fast removal of the food under recall from the distribution chain and informing consumers (where necessary) of the presence of such food in the market and ensure that it is contained and destroyed or rendered safe;
 - (ii) to guide the food business operators on how to establish a written ‘Recall Plan’ for executing the food recall process in case the food is determined unsafe and to protect the health of consumers in such a situation; and
 - (iii) to lay down the complete process of recall, post-recall report, closure of the recall process and follow-up action in order to ensure the effectiveness of the recall and prevent a recurrence.

SCOPE

- 4. Scope of food recall procedure.** - (1) These regulations apply to the recall of food that is determined unsafe. Recall of food is in the common interest of the industry, the government and, in particular, the consumers.
- (2) All food business operators engaged in the manufacture or importation or wholesale supply of food regulated under the Act must have an up-to-date recall plan. The food retailers alone are not required to have a Food Recall Plan, unless they are also engaged in the manufacture or importation or wholesale supply of food. Food businesses within the food service sector such as restaurants, caterers and takeaway joints are exempted from having a recall plan unless they are running multi-outlet food business chains with integrated manufacturing and distribution network.
- (3) The food retailers and food businesses within the food service sector, which do not require to have a recall plan, shall remove the recalled stock from shelves and return it to the manufacturer, importer or wholesaler and must ensure that food under recall is separated and identified from other food until it is disposed of in accordance with the instructions provided under the recall plan.
- (4) A recall plan must be available in writing and shall be made available to the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State/UT, as the case may be, on request. The food business operator shall comply with the plan it has developed when it recalls food and the recall plan shall be integrated into his business. It shall also be part of the annual audit of the food business.
- (5) In the case of alcoholic beverages, pan masala, *supari*, the mandatory mention of warning “consumption of alcohol/ pan masala/ *supari* is injurious to health” may not be treated as unsafe food as part of any recall plan unless the beverage or food is determined unsafe as per the classification of recall making it injurious to health or even causing death.

CHAPTER 3

FOOD RECALL PROCEDURE

- 5. Initiation of the food recall process.** - (1) A food business operator engaged in the manufacturing, importation and wholesale supply of food shall initiate a recall process at any time to fulfill its responsibility to protect public health from food that is unsafe for the consumer.
- (2) A recall process may be initiated as a result of reports or complaints referred to the food business operator from a variety of sources. The reports or complaints may be referred by manufacturers, wholesalers, importer, exporter, distributor, retailers, consumers, media, government agencies and Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State/UT. Such reports or complaints shall be reviewed by the Food Authority prior to a ‘recall classification’ or ‘initiation of recall’ in consultation with food business operator in accordance with the guidelines framed thereunder. In case the food business operator does not respond to the complaint, the complainant or the consumer may report to the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority who will take steps to determine the need for recall and instruct the concerned food business operator accordingly.
- (3) The Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State/UT may direct the food business operator engaged in manufacturing, importation and wholesale supply or distribution, to initiate the recall process if a food manufactured and distributed by him is unsafe and if the food business operator, who is responsible for carrying out the recall, has not initiated a recall on its own.
- (4) It is the responsibility of all the food business operators in the entire distribution chain to implement the instructions relating to the recalling food business operator and shall conduct the recall and provide information on the distribution of the food to the recalling food business operator or the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority. Failure to do so shall render the FBO liable to action as provided under the Act or the rules made thereunder.

- (5) When a food business operator refuses to undertake a recall directed by the State Food Authority or Food Authority or where the State Food Authority or Food Authority has sufficient reasons to believe that a recall would not be effective, or determines that a recall is ineffective, or discovers that a violation is continuing, the State Food Authority or Food Authority will take appropriate action as provided under the Act, rules or regulations made thereunder and the food business operator shall be liable for such violation as provide under the Act or the rules made thereunder.
- (6) A recall of food manufactured overseas may also be initiated by reports of health authorities, or from information received directly from such authorities or otherwise.
- (7) Export oriented units also need to have a recall plan in place as there may be food products that can be directed to local consumers in India. Additionally, food imported into country will be checked by port authority and concerned food safety officer to ensure that in case it is a product of rejection or recall in any market, is not disbursed in local market on account of being unsafe as defined in this regulation.
- (8) The initiation of food business operator or State Food Authority or Food Authority directed recall shall not preclude the State Food Authority or Food Authority from taking further regulatory action on account of unsafe food against the concerned food business operator for the time period.
- 6. Recall classification.** - The food recall is done in case the food is determined to be unsafe food by the Food Authority which may cause serious health problems or even death of a consumer.
- 7. Operation of Food Recall System.** - (1) The food business operator shall maintain the food distribution records which include the names and addresses of suppliers and customers as well as the nature of food and date of purchasing and delivery, lot No. or batch code, pack size, brand name, date of manufacture and best before date, and shall maintain such records for a period of one year or the expiry of shelf life of food, whichever is later.
- (2) The recalling food business operator shall submit a recall alert notification as specified under **Schedule I** to the State Food Authority or Food Authority immediately but not exceeding twenty-four hours from the time it comes to his notice that such food is unsafe and the recall exercise shall be initiated. To ensure speedy communication, such alert(s) may be sent by using all possible means of communication including fax, e-mail, or by speed post. The State Food Authority shall inform of such recall alerts to Food Authority within twenty-four hours of receipt of such information.
- (3) The recalling food business operator shall stop production of food under recall and/or stop distribution, without waiting for any instructions from the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State/UT so as to ensure that consumer safety is not compromised. He shall contact distributors of the affected food by written communication, phone, e-mail, fax, or a combination thereof, notify the suppliers and any other relevant retailer or trade association and immediately identify all required product details as stipulated in the recall notice as specified under **Schedule I** along with any additional details which would facilitate speedy identification and recall. The recalling food business operator may resume distribution of the identified food under recall after obtaining clearance from the State Food Authority or Food Authority, as the case may be.
- 8. Recall plan.** - (1) The recalling food business operator(s) shall formulate a detailed recall plan as part of their food safety management system as specified in **Schedule-II**.
- (2) The food business operator shall submit the recall plan to the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority at the time of actual recall being carried out by him taking into account result of health hazard evaluation or classification; ease or challenges in identifying the product; degree to which the deficiency in the food is obvious to the consumer and the degree to which the food remains unused in the marketplace; and supervise the recall, assemble data and report on the completion of recall.
- (3) The Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority will review the adequacy of the proposed recall plan developed by the recalling food business operator and recommend the changes as deemed appropriate. The food business operator shall conduct the recall in accordance with the recall plan submitted to the State Food Authority or Food Authority without waiting for the response of the State Food Authority or

Food Authority. However, the suggestions received from any of these Authorities at any stage, shall be duly taken into account while executing the recall plan.

- 9. Recall communication.** - (1) The recalling food business operator shall be responsible for promptly notifying each of its affected downstream food business operator(s) and individuals about the recall. The format, content, and extent of a recall communication shall be commensurate with the hazard of the food being recalled and the plan developed for the recall.
- (2) Such recall communication shall be accomplished by written communication, phone, e-mail, fax, electronic media (TV or Radio or Internet or combination) or a combination thereof; conspicuously marked "Food Recall" preferably in bold red type. The communication shall also be marked "urgent". Telephone calls or other personal contacts shall ordinarily be confirmed by one of the above methods and documented in an appropriate manner.
- (3) Food business operator, who receive a recall communication, shall immediately carry out the instructions set forth by the recalling food business operator and, wherever necessary, extend the recall to its own downstream food business operators and individuals in accordance with sub-regulation (1) and (2) and the format as specified in **Schedule-III**.
- (4) In case of food recall, the recalling food business operator shall inform the consumer (Public Notice) in the affected area of the recall at the earliest possible moment which may be in the form of press release, letters to the concerned parties or paid advertisement in the media. Such press release, letter or advertisement shall be in the form of 'Food Recall Notice' and shall contain the following information:
- (a) Name of the Food Business Operator recalling the food.
 - (b) Name of the food, brand name, Pack size, Batch and Code Number, date of manufacture, used by date or best before date, unique product code number (EAN or UPC number).
 - (c) The contamination or violation in the food or reason for such recall.
 - (d) The "do not consume message, if the food is unsafe".
 - (e) Health warning and action.
 - (f) The places or outlets where the food is found.
 - (g) The action to be taken by the consumer.
 - (h) A contact number for queries.
- (5) The recalling food business operator shall respond to each and every query from the State Food Authority or Food Authority within twenty-four hours of the receipt of the query.
- 10. Recall status report.** - (1) It is the responsibility of the recalling food business operator to determine whether the recall is progressing effectively and shall submit periodic status reports to the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority after the notification of the recall for assessing the progress of the recall. The frequency of such reports will be determined by the relative urgency or gravity of the recall and will be specified by the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority for each recall. However, in any case the reporting interval shall not be more than one week.
- (2) Unless otherwise specified or not applicable in a given recall case, the recall status report shall contain the information as specified in **Schedule- IV**.
- (3) Recall status reports are to be discontinued when the recall is terminated by the State Food Authority or the Food Authority, as the case may be.
- (4) The recalling food business operator shall retain proper and complete documentation on food recall for inspection and verification by the State Food Authority or the Food Authority, as the case may be.

- 11. Food recovery.** - (1) The recalling food business operator shall store the recovered food in an area which is separated from any other food and is identified by a label plate with prominently written "RECALLED PRODUCT".
- (2) The recalling food business operator shall maintain accurate records of the recovered food and their lot No. or batch code, pack size, brand name, date of manufacture, best before date, unique product code number (EAN or UPC code), etc. Proper recording system shall be available to ensure that recalled food is retrieved and its details are recorded.
- (3) The recalling food business operator may correct or re-process the recovered food, if appropriate, in consultation with the State Food Authority and ensure that it is fit and safe for human consumption before it is released again in the market. In all other cases, the recalling food business operator shall ensure appropriate destruction of such food in consultation with the State Food Authority or its representative. A complete record of the disposal of such product shall be maintained.
- 12. Post-Recall report.** - (1) The recalling food business operator shall submit a post-recall report after the completion of the recall process to assess the effectiveness of the recall.
- (2) The effectiveness of a recall shall be assessed by the recalling food business operator after taking into the account the retail turnover of the food and on the basis of the quantity or amount of food returned as a proportion of the quantity or amount of food that was left.
- (3) In addition to assessing the effectiveness of a recall, it is necessary to follow up by investigating the reasons for such recall and taking action to prevent a recurrence of the problem.
- 13. Termination of a recall.** - (1) The recalling food business operator may request termination of its recall by submitting a written request to the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority along with latest recall status report or post-recall report stating that the recall was effective. The request may be made in the form specified in **Schedule-V**.
- (2) A recall may be terminated when the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority determines that all reasonable efforts have been made and it is reasonable to assume that the food under recall has been removed and proper disposition or correction has been made.
- (3) Written notification to the effect that a recall is terminated shall be issued by the Food Authority or the State Food Authority to the recalling food business operator within two weeks of the request submitted by the recalling food business operator.
- (4) In case of unsatisfactory reports, the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority may consider further action like stepped-up inspection, seizure or any other legal action against the recalling food business operator.
- 14. Follow-up action.**- (1) Recalling food business operators shall provide the the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority with an interim report as soon as a recall is completed, in any case not later than 30 days after the completion of a recall, covering the following information, namely:-
- (a) the circumstances leading to the recall ;
- (b) the action taken by the recalling food business operator including details of any publicity;
- (c) the extent of distribution of the relevant batch in the country and overseas;
- (d) the results of the recall (quantity of stock returned, corrected, outstanding, etc.);
- (e) the proposed method of disposal or otherwise of recalled stock with record of destruction; and
- (f) the action proposed to be implemented in future to prevent a recurrence of the problem.
- 15. Responsibility of the food business operator.** - (1) It is the responsibility of the food business operator to have procedures and systems in place to identify other food business to whom they have supplied their food.

(2) Food business operator shall collaborate with the the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority on action taken to avoid or reduce risks posed by the specific batch or lot or code of food, which they supply or have supplied.

(3) It is the responsibility of the food business operator to remove the food from sale or distribution, when requested by the Commissioner of Food Safety of the State/UT or the Food Authority, as the case may be.

16. Responsibility of the Commissioner of Food Safety of the State/UT. - (1) The Commissioner of Food Safety of the State/UT shall supervise the recall by the food business operator and inspect the food business operator's capability of recall after receiving the recall alert notification. The responsibility of the Commissioner of Food Safety of the State/UT shall include the following -

- (i) Inspect the suspected or determined unsafe food after receiving complaint from the consumer, take action as per the provisions contained in the Act and advise the food business operator, in consultation with the Food Authority wherever required, to recall such food.
- (ii) To prepare and issue a media release for immediate use by the media in recalls involving consumers, and where required, in consultation with the food business operator.
- (iii) Conduct audit checks selectively when it determines that the food business operator is unable to ensure the effectiveness of its recall.
- (iv) Advise the food business operator who has submitted an incomplete recall proposal to make improvements.
- (v) Give instructions on the frequency of reporting the condition of recall, subject to the urgency of the case, and to monitor the recall progress of the food business operator(s).
- (vi) Supervise the food business operator in completion of recall and assess their recall report.
- (vii) Offer follow-up guidance to the food business operator; conduct periodic inspections to ascertain the extent of recall accomplished; file relevant recall information and issue the necessary press releases.
- (viii) Monitor the effectiveness of the recall notification, correction or removal, verify appropriate food disposal and terminate the recall.
- (ix) As for the foods imported into India which are recalled products in other markets or where Indian made foods are subject to recall or rejection in country of export and returned to India, the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State/UT shall, in consultation with the concerned food business operator, determine the fate of such products for disposal or reprocessing at port or otherwise; and shall review recall plan for the exported foods and advise the health authorities in the importing countries about such recall.

(2) The Food Authority shall be kept informed by the Commissioner of Food Safety of the State/UT in execution of the above process and shall be guided by such instructions as the Food Authority may deem appropriate.

17. Responsibility of the Food Authority. - (1) The Food Authority shall guide and supervise the Commissioner of Food Safety of the State/UT in the execution of the Recall Plan and, where necessary, it may assess the relevant reports submitted by the food business operator and give instructions as may be required.

(2) The Food Authority may establish a web based facility titled 'Food Recall' on its website with a unique identification number assigned to each recall for monitoring and to provide information to the consumers about such recall. The Food Authority may also publicise about the recall when it considers that the public need to be alerted about the health hazard depending upon seriousness of the situation and it shall keep the concerned food business operator(s) aware of the same.

Schedule – I**[See Regulation 7 (2)]
Format of Food Recall Alert Notification**

To

The Commissioner of Food Safety of the State/UT _____, or
The CEO of the Food Authority

Sr. No.	Subject	Particulars	
1.	Name and Address of the recalling food business operator		
2.	Name, Designation and Contact details of person who should be contacted		
3.	Identity of the implicated food	(a)	Food Type
		(b)	Brand Name
		(c)	Date of Manufacturing
		(d)	Quantity/ No. of Food affected:
		(e)	Unique Product Code (EAN/UPC number)
		(f)	FSSAI License / Registration No.
4.	Reason for Recall		
5.	Date and circumstances under which food deficiency was discovered		
6.	Nature of hazard		
(a)	Name and address & tel. No. of person reporting the problem		
(b)	Has any testing been under taken:		
(c)	Nature of problem		
(d)	Results:		
7.	Total quantity/ amount of implicated food produced		
8.	Time span of production		
9.	Amount of implicated product sold to the food business operator/ individual in the distribution channels		
10.	Extent of distribution of the food (Level of distribution, No. of direct accounts, Identity of direct accounts if possible)		
11.	Copy of Recall Communication (if already issued) otherwise proposed communication and means/ proposed means of communication		
12.	Action already taken and Proposed plan for recall.		
13.	Any other relevant information		

* Please attach extra sheets if space is insufficient

Signature and title**Date:**


Schedule – II
[See Regulation 8 (1)]

Recall Plan

The following elements shall be included in the recall plan:

<u>Elements</u>	<u>Purpose</u>	<u>what to do?</u>
RECALL MANAGEMENT TEAM	Allows you to action your recall plan smoothly	Appoint responsible people from production, Quality, Sales Purchasing, Insurance, legal, technical, media - where appropriate Responsibilities of such committee member shall be plan defined with recall plan
COMPLAINT FILE	Allows you to identify unsafe food and correct problems in food safety systems.	Identifying unsafe food with unique product code { } Lot No, Expiry/ manufacturing/ best before dates Recording, Investigating the complaint and taking action based on the investigation findings
RECALL NOTIFICATION CONTACT LIST	The State Food Authority staff can assist you with your investigations and safety corrective action decisions	Name of the State Food Authority contact telephone number and fax number
IDENTIFYING THE FOOD	limit the scope of the recall and remove the food from distribution quickly and accurately	Link all raw ingredients from suppliers and to finished product. Code your finished products using unique product code.
PRODUCTION AMOUNTS	Allows you to know how much of the food is in your company control and how much has been sold	Record the amount of each lot code of each food produced
DISTRIBUTION RECORDS	Allows you to limit your recall to the specific accounts that received the food being recalled	Record name and type of the account, address, food name, lot and expiry date & product code, telephone number, amount of food shipped /distributed
RECALLED FOOD RECORDS	Allows you to know that the food has been controlled and has not reentered the market.	Record brand and food name, size, unique product codes, amount, date of recall
RECALL PROCEDURES	contain a step-by-step description of what to do when you have to recall a food	Follow step by step procedure given in the flowchart enclosed

STEPS IN RECALL PROCEDURE



Schedule- III

[See Regulation 9 (3)]

FOOD RECALL COMMUNICATION FORMAT

By FAX/ Letter Template

To

All Food Business Operator(s) of Recalled Food
(Distributors/ Wholesalers/ Retailers/ Restaurants)

URGENT !**FOOD RECALL** (should be in bold red type)

Date: _____

Food Authority's Unique Identification No. for Recall (when available): _____

1. Our company is voluntarily recalling ___ <food name>___ due to ___ <reason for recall>___. It may not meet food safety & quality standards, and/or may represent a small/ moderate/ serious (CHOOSE one word) health or safety threat to people who use it.
2. Please follow these instructions to ensure a successful recall:
 - (i) Immediately discontinue distribution/ sale of your existing stock of _____ (brand, name, code of food, package size, etc.) _____.
 - (ii) Inform us of the quantity of food you have on hand by completing the bottom portion of this form. Sign the form and return it by FAX to _____ <Contact person & FAX number>___ as soon as possible.
 - (iii) DO NOT dispose of the food. Instead (Choose one of the following two options):
 - (a) Wait for further instructions from _____ <their sales rep> _____; OR
 - (b) Return the recalled food to _____ <name of the company/ company's contact person> _____ as soon as possible.
3. If you have distributed any of the recalled food, please immediately:
 - (i) Contact your downstream food business operator/individuals by telephone and in writing to advise them about the recall.
 - (ii) Instruct them to return their unused, undestroyed stock to <company or supplier>.
 - (iii) Instruct them to also notify any of their Food business operator/ individuals, which may have received the recalled food.
4. If you have any questions regarding this recall, please feel free to contact _____ <company's contact person> _____ at _____ <phone> _____.

Sincerely,

(Recalling Food Business Operator)

CUSTOMER NAME: _____

QUANTITY ON HAND: _____ Cases / Cans / Packages Circle One)

Owner's Name: - Please Print Owner's name and affix the Signatures

Schedule- IV
[See Regulation 10 (2)]
FOOD RECALL STATUS REPORT FORMAT

Date: _____

Food Authority's Unique Identification No. for Recall _____

1.	Name of the food	_____ <Unique Product Code> (EAN/UPC Code) _____
2.	Brand Name:	
3.	Batch/ Code Number:	
4.	Date of Mfg/ Packaging (PKD):	
5.	Food Authority/ the Commissioner of Food Safety of the State/UT Contact:	
6.	Phone:	
7.	Email address:	

Dear _____,

_____ <Name of the recalling food business operator> _____ hereby submit the following Recall Status Report regarding the above-listed food:

1. Quantity related details of the implicated product before recall initiation:

(a)	Total Produced:	
(b)	Total sold to Food Business Operator/ individual in distribution channel:	
(c)	Total to be recalled:	

2. Notification:

(a)	Total number of Food Business Operator / individual identified:	
(b)	Number of Food Business Operator / individual notified:	
(c)	Method of notification (check all that apply):	
(i)	Letter	
(ii)	Phone	
(iii)	Fax	
(iv)	Email	
(v)	Other(s): Please specify	

3. Food business operator response:

(a)	Total number of food business operator /	
-----	--	--

	individual responding:				
(b)	Total number of food business operator / individual not responding:				
(c)	Total quantity of food dispatched at Non-responding food business operator/individual end:				
(d)	Number of packaged units and its amount sold to and returned by each responding food business operator/ individual:	Sold		Returned	
		Number	Quantity	Number	Quantity
(i)	Food business operator/ individual				
(ii)	Food business operator/ individual				
(iii)	Food business operator/ individual				
(iv)	Food business operator/ individual				
(v)	Food business operator/ individual				
	Add more, as required				
	Total				

Quantity of implicated product accounted for (Total amount in custody of recalling firm, including that recalled, expressed as percentage of total produced:

4. Effectiveness Checks:

(a)	Total number required:	
(b)	Total number completed:	
(c)	Completion date:	

5. Estimated Recall Completion Date: _____

6. Proposed method of disposal of recovered stock / record of destruction:

7. Actions proposed to avoid recurrence in future

Sincerely,

Signature and title
Recalling Food Business Operator

Note:

1. Provide cumulative information.
2. The final status report to be attached with the Recall termination request shall provide decided method of disposal / records of destruction in point 6.

Schedule- V
[See Regulation 13 (1)]
FOOD RECALL STATUS REPORT FORMAT

Date: _____

To

The Commissioner of Food Safety of the State/UT _____
 The CEO, Food Authority _____

Food Authority's Unique Identification No. for Recall: _____

FBO Name & License No. & Registration No.: _____

Product Brand: _____

Food Name: Unique Product Code (EAN/UPC number): _____

Date Code: _____ Batch No. _____ Manufacturing Date / Packaging Date _____

Best before / Expiry date _____

Food Authority Contact: _____ Phone: _____ Email: _____

Ref: Request for Recall Termination

Dear _____

_____ <Food Business Operator> _____ initiated a Class _____ recall of the above-listed product on ___ <date> ___ that extended to the _____ level. Proper notifications were made by phone, fax, email, mail and personal visits, and records of these notifications have been provided to your office.

2. All requested Status Reports have been filed (indicated if or not within the proper time-frames), and the latest report is being submitted with this communication. _____ <Food Business Operator> _____ believes the above-listed product has been successfully recalled.

3. In light of this successful and conscientiously executed recall, ___ <Food Business Operators> _____ hereby requests that this food product recall be terminated, and that _____ <Food Business Operator> ___ be provided with written confirmation of the termination.

Thank you for your assistance.

 Signature and title (Food Business Operator)

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer
 [ADVT-III/4/Exty./187-O/24/15]